



राजस्थान सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाली**  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट बाली)

GCMS NO. 2023/212

—:आदेश:—

दिनांक 20-08-24

प्रार्थी श्री चतराराम पुत्र गेनाजी जाति मेघवाल तहसील बाली के नक्शा में ऑनलाईन सेग्रीगेशन में हुई त्रुटी को शुद्ध किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व तहसीलदार बाली एवं उनके प्रतिनिधि पटवारी हल्का नाना द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मय संलग्न सेग्रीगेशन से पूर्व नक्शे एवं ऑनलाईन नक्शे की स्थिति का अध्ययन किया गया। उपलब्ध रेकॉर्ड के अध्ययन से सेग्रीगेशन के दौरान ग्राम नाना के खसरा नंबर 2326 की स्थिति ऑनलाईन नक्शे में गलत रूप से दर्शित होने से माफिक रिपोर्ट तहसीलदार बाली सेग्रीगेशन के पूर्व की स्थिति अनुसार संशोधन के माध्यम से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के अनुसरण में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रिपोर्ट को आदेश का भाग माना जावे। तहसीलदार बाली इसी अनुसार नक्शे में तरमीम शुद्धि कर पालना सुनिश्चित करे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।



3

पीठासीन अधिकारी,  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी बाली  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली  
दिनांक 20-08-2024

क्रमांक/कोर्ट/2024/1055-1057  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बाली को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. पटवारी हल्का नाना को पालनार्थ।
3. प्रार्थी श्री चतराराम पुत्र गेनाजी जाति मेघवाल तहसील बाली को सूचनार्थ।

3

पीठासीन अधिकारी,  
सहायक कलक्टर एवं पदेन  
उपखण्ड अधिकारी बाली  
पदेन सहा. कलक्टर, बाली